राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक : प. 7(4)प्राशि / आयो / 2016 जयपुर, दिनांकः -20/6/16

निदेशक,
राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एंव प्रशिक्षण संस्थान
उदयपुर

विषयः— राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एंव प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर मे शैक्षिक एंव गैर शैक्षिक रिक्त पदों पर सेवानिवृत कार्मिको को समेकित मानदेय (Consolidated Remuneration) पर पुनर्नियुक्ति किए जाने के सम्बन्ध मे।

सन्दर्भः— वित्त विभाग (रूल्स डिविजन) की अधिसूचना क्रमांक एफ 12(6) एफडी / रूल्स / 2009 दिनांक 1.12.2015 एंव कार्मिक (क—2) विभाग के परिपत्र सं एफ. 17(10) डीओपी / ए—II / 94 दिनांक 10.02.2016 एंव आपका पत्रांक क्रमांक राराशैअप्रस.उदय / वि—5 / फा 4354 / 2016—17 दिनांक 05.05.2016

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित अधिसूचना एंव पत्र के क्रम मे लेख है कि विभाग मे नियमित भर्ती प्रक्रिया मे विलम्ब होने पर जनहित मे राजकार्य सम्पादित करने हेतु कार्मिक विभाग द्वारा 65 वर्ष तक की आयु तक सेवानिवृत कार्मिको को एक वर्ष की अवधि के लिए समेकित मानदेय (Consolidated Remuneration) पर पुर्ननियुक्त करने हेतु वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 12(6) एफडी (रूल्स) / 2009 दिनांक 1.12.2015 के द्वारा प्रशासनिक विभागो को अधिकृत किया गया है। प्रशासनिक विभागो द्वारा आवश्यकतानुसार पुनर्नियुक्ति की अवधि को कुल दो वर्ष तक बढाया जा सकता है। सेवानिवृत कार्मिको को संविदा पर नियुक्ति हेतु दिए जाने वाले समेकित मानदेय के सम्बन्ध मे कार्मिक (क—2) विभाग के परिपत्र सं एफ.17(10)डीओपी / ए—II / 94 दिनांक 10.02.2016 द्वारा मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी किये गए है।

अतः राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एंव प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर में शैक्षिक एंव गैर शैक्षिक रिक्त पदों पर सेवानिवृत अधिकारियो / कर्मचारियों को कार्मिक विभाग के परिपत्र सं एफ 17(10) डीओपी / ए—II / 94 दिनांक 10.02.2016 मे दिए गए दिशानिर्देशो अनुसार समेकित मानदेय (Consolidated Remuneration) पर पुर्ननियुक्ति करने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता हैः—

1. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एंव प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर — अध्यक्ष
2. उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उदयपुर मण्डल उदयपुर — सदस्य
3. उपनिदेशक (निदेशक, SIERT द्वारा नामित) SIERTउदयपुर — सदस्य सचिव
4. सहायक लेखाधिकारी / कनिष्ठ लेखाकार — सदस्य

उक्त समिति द्वारा राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एंव प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर के स्पष्ट रिक्त पदो पर पुनर्नियुक्ति हेतु सेवानिवृत कार्मिको के आवेदन आमन्त्रित किये जायेगे। प्राप्त आवेदन पत्रो मे से योग्य पाए गए कार्मिको की वरीयता सूची तैयार कर अनुमोदनार्थ राज्य सरकार को प्रेषित किए जावे। अनुमोदन उपरान्त समेकित मानदेय (Consolidated Remuneration) पर पुनर्नियुक्ति आदेश जारी किये जावे।

संलग्नः— सन्दर्भित अधिसूचना एंव परिपत्र

(सुनील कुमार शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि, निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. विशिष्ठ सहायक, शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) महोदय
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।

3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
4. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान बीकानेर।
6. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
7. उप शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, (संस्थापन)/शिक्षा (ग्रुप-2)/ शिक्षा (ग्रुप-1)
8. उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उदयपुर मण्डल, उदयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

(एस.एन. यादव)
अनुसंधान अधिकारी